आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथमतल भोपाल

क्रमांक /आयुष्मान भारत/सी.ई.ओ/300 भोपाल,दिनांक 11/09/2019

प्रति,

समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऍ,मध्य प्रदेश ।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्य प्रदेश ।

विषयः—आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम"योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर दिनांक 23 सितम्बर 2019 को स्वास्थ्य शिविर आयोजन के संबंध में ।

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम"योजना को दिनांक 23 सितम्बर 2019 को सफल एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। वार्षिक उत्सव के रूप में दिनांक 23 सितम्बर 2019 को समस्त जिला चिकित्सालयों स्तर पर एक आयुष्मान भारत "निरामयम" स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है

जिसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम " के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराना है तथा इसके उद्देश्य निम्न इस प्रकार है :—

1— विभिन्न विधाओं के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जन सामान्य का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार करना ।

2— आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम"योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों की पहचान कर सत्यापित कर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना । इस कार्य हेतु सी.एस.सी. से भी सहयोग प्राप्त कर उनका काउन्टर शिविर स्थल पर लगवायें ।

3— आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम"योजना के तहत 1399 प्रोसीजर्स के अन्तर्गत आने वाले सत्यापित हितग्राहियों की समस्या का निदान करना एवं परीक्षण उपरान्त संबंधित इम्पेनल चिकित्सालयों को रेफर करना ।

4. स्वास्थ्य शिविर में सिविल अस्पताल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर लगाने होंगे।योजना प्रारंभ के समय प्रथम हितग्राही जिसका सफल ईलाज हुआ हो, उन्हें शिविर में आमंत्रित कर सम्मानित करे व उनका पूर्ण विवरण उक्त अवसर पर खींची गई छायाप्रति अवश्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य शिविर के संबंध अन्य दिशा— निर्देश **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशानुसार जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन समय सीमा में कर हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाऍ उपलब्ध करावें तथा चिन्हांकित समस्त हितग्राहियों को लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें। जिले वार राशि जारी की जा रही है। शिविर पूर्ण होने के 7 दिवस के अंदर उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करे।

(डॉ.जे विजयकुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्य प्रदेश

पृष्ठ/क्रमांक आयुष्मान भारत/सी.ई.ओ./ए.बी./2019/301 भोपाल,दिनांक 11 /09/2019

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र

2. आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र

3. मिशन संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.

4 संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.

5. संचालक अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र

6. समस्त जिला कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र.

7.समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.

8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

9 उप संचालक राज्य बीमारी सहायता निधि, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.

10. वेब एडमिनिस्ट्रटर, आयुष्मान भारत "निरामयम" को अधिकारिक बेवसाइट पर जारी करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्य प्रदेश

परिशिष्ट 'अ'

आयुष्मान भारत "निरामयम" स्वास्थ्य शिविर (23 सितम्बर 2019) आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा – निर्देशः–

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला स्तर पर शिविर के सुचारू संचालन हेतु एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को नामांकित करेंगे ।
- जन सामान्य में स्वास्थ्य सेवाएँ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूचना,संचार गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाना ।
- शिविरों में आने वाले सभी जन सामान्य की एन.सी.डी.स्क्रीनिग की जाए,जिसमें सभी लोगों का मधुमेह,उच्च रक्तचाप की जॉच एवं लक्ष्णों के आधार पर संभावित कैंसर के मरीज की पहचान की जा सकती है । पाये गये संभावित उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह एवं कैंसर मरीजों का पंजीयन कर जांच उपचार कराना सुनिश्चित हो ।
- शिविरों में आने वाले जनसामान्य,हितग्राहियों को स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्याप्त मात्रा में दवाईयॉ एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।
- शिविरों में आने वाले सभी जन सामान्य का आयुष्मान भारत हितग्राही सूची में मिलान होने पर डाटाबेस कार्ड भी बनाये जाये जिसके लिए सी.एस.सी. का काउन्टर वहॉ पर स्थापित कराया जाना सुनिश्चित हो ।
- सम्बध्द निजी चिकित्सालयों के संचालक/प्रबंधक व्दारा संस्था में पदस्थ विषय विशेषज्ञों को शिविर में अपनी सेवाएँ दिये जाने हेतु समन्वय स्थापित करना ।
- शिविरों के आयोजन के उपरान्त जानकारी एकत्रित कर अपने अभिमत सहित क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ को उपलब्ध कराना ।
- जिन शिविरों में निजी चिकित्सालयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उन शिविरों हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविघालयों से विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
- शिविर समाप्ति के पश्चात जिले की संपूर्ण शिविर प्रतिवेदन तत्काल निर्धारित प्रपत्र format "D" में भरकर राज्य स्तर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर में जिसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल हृदय उपचार योजना, बाल श्रवण योजना एवं आयुष्मान भारत के अंतर्गत हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उनके प्रकरण तैयार कर लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना से संबंधित अधिकारियों को भी शामिल किया जाये।
- आयुष्मान भारत योजना के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक आई.ई.सी. गतिविधियां करना सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जनप्रतिनिधि द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- हितग्राहियो की निःशुल्क जांच, उपचार, एवं परिवहन व्यवस्था करना सुनिश्चित करें
- विषय विशेषज्ञो एवं हितग्राही मरीज के परिवहन हेतु व्यवस्था करें।
- शिविर में आने वाले विशेषज्ञों/ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु चाय एवं लंच की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- जिला स्तर पर पदस्थ विशेष विशेषज्ञों की डियूटी होने वाले स्वास्थ्य शिविर हेतु लगाई जावे जिसका रोस्टर बनाये। इसी प्रकार स्वास्थ्य शिविर हेतु मेडिकल कॉलेज के विषय विशेषज्ञों की डियूटी डीन मेडिकल कॉलेज के समन्वय से लगाई जाना सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य शिविर स्थल पर चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टॉफ,मरीज एवं परिजनों हेतु पीने के पानी की, हेन्डवॉस, बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करे।

- स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों के कक्ष, आवश्यक दवॉईयां, उपकरण, जांचो की व्यवस्था एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे।
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को निःशुल्क जांच उपचार हेतु प्रोसीजर अनुसार (रिजर्व कैटीगरी/ओपन कैटीगरी) चिन्हित कर हितग्राहियों को संबंधित संस्था में भर्ती कर ईलाज कराना करना सुनिश्चित करे।
- शिविर में आई.एस.ए. के सहयोग से योजना के प्रांरभ में प्रथम हितग्राही जिसका इलाज हुआ है,उन्हें आंमत्रित कर सम्मानित किया जावे व उसका पूर्व विवरण व संकलन के समय खींची गई छायाचित्र अवश्य एस.एच.ए को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शिविरों के मुख्य गतिविधियों की फोटो खिंचवा कर ई–मेल द्वारा एस.एच.ए. को प्रेषित की जावे।
- समस्त रिर्पोट ऑन लाईन के माध्यम से आयुष्मान भारत निरामयम के ई–मेल आई डी ayushman.bharat@mp.gov.in /abpmjay.mp@gmail.com पर भेजे।

वित्तीय व्यवस्थाः–

जिलों में आयोजित होने वाले शिविरों के सफल संचालन हेतु संभावित वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी :–

कमांक	मद	संभावित व्यय (रूपयों में
1	जिला स्तर पर शिविर आयोजन हेतु टेन्ट आदि / प्रति जिला	20,000/–
2	शिविर में जाने वाले चिकित्सकों को लंच एवं चाय प्रति जिला	10,000/–
3	विशेषज्ञ दल परिवहन व्यवस्था प्रति जिला	10,000/–
4	शिविर में लगने वाले आवश्यक स्टेशनरी एवं अन्यव्यय प्रति जिला	10,000/–
	कुल राशि	50,000 रूपये प्रति जिला

Reporting Format of Ayushman Bharat 'Niramayam' Camps

Name of the District:
Date of the Camp:
Place of Camp Held:

S. No.	Name of the Beneficiary	Age	Sex	Phone No.	AB-PMJAY ID	Name of the Referred Hospital	Govt / Pvt. Hospital Referred	Diagnosis	Speciality Code	Package Code

Camp Summary

S. No.	Details	No.s
1	Total no. of patients screened	
2	Total no. of eligible Ayushman Bharat beneficiary out of total patient screened	
3	Total no. of patients referred to higher facilities	
4	Total no. of Ayushman Bharat patients out of total patients referred	
5	Total patients referred to Govt. Hosp.	
6	Total patients referred to Govt. Medical College	
7	Total patients referred to Pvt. Hospitals	
8	Total Ayushman Bharat beneficiaries referred to Govt. Hosp.	
9	Total Ayushman Bharat beneficiaries referred to Govt. Medical College	
10	Total Ayushman Bharat beneficiaries referred to Pvt. Hospitals	